झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के सत्र 2013-14 में कक्षा- 6 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 01/2013

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 879 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-2(P) में निहित प्रावधान के आलोक में विशिष्ट विद्यालय का दर्जा देते हुए प्रारम्भिक स्तर (वर्ग-6) में नामांकन लिखित परीक्षा के आधार पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय पत्रांक 1169 दिनांक 30.04.2011 के द्वारा वर्तमान शिक्षा सत्र के एक स्तरीय लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने एवं सफल छात्रों की अन्तर्वीक्षा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के माध्यम से लिये जाने और इसके आधार पर मेधा एवं निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रवेश हेतु मेधा क्रम सूची निर्माण करने का निदेश दिया गया है।

एतद् द्वारा संबंधित छात्र/छात्राएँ, जो निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ता रखते हैं, से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

(क) जिसके माता-पिता झारखण्ड राज्य के मूल/स्थानीय निवासी हों।

(ख) 01 अगस्त, 2013 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात् जिनका जन्म 01.08.2001 से 31.07.2003 के बीच हुआ हो।

(ग) किसी भी कोटि के विद्यालय में अध्ययनरत् हों या घर पर ही स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहे हों।

2. नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के लिये क्रमश: 100 एवं 75 सीट निर्धारित हैं। इन्हीं सीटों के विरूद्ध आरक्षण नियम के तहत् मेधाक्रम में छात्र/छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय तथा निम्नांकित विषयों में होगी। पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि निम्नवत् होगी :-

क्र. सं.	विषय	पूर्णांक	अवधि
01	गणित	100	02 घंटे
02	विज्ञान	100	02 घंटे
03	सामाजिक विज्ञान	100	02 घंटे
04	हिन्दी	100	02 घंटे

(i) लिखित प्रवेश परीक्षा प्रश्न का स्तर सामान्यत: पांचवी कक्षा का होगा। लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक जिला मुख्यालय में निम्नवत् आयोजित की जायेगी :-

दिनांक	प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न	द्वितीय पाली 1:00 बजे अपराह्न से 3:00 बजे अपराह्न
30.05.2013(वृहस्पतिवार)	गणित	हिन्दी
31.05.2013(शुक्रवार)	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान

(ii) लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीटों के दुगने संख्या में आरक्षण नियम के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(iii) लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अन्तर्वीक्षा परिषद् द्वारा ली जायेगी। अन्तर्वीक्षा के लिये 100 अंक निर्धारित हैं।

(iv) लिखित प्रवेश परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नियमों के आलोक में कोटिवार अन्तिम मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा और उसी मेधा सूची के छात्र/छात्राओं का नाम नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग में नामांकन के लिये अनुशंसित किया जायेगा।

(3) **सामान्य अनुदेश:-** (i) सादा परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2013 से दिनांक 09.02.2013 तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में 20/- रूपये नगद राशि भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 24.01.2013 से 11.02.2013 तक जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र में यथास्थान चिपकाये गये फोटो पर सभी छात्र/छात्रायें अपना हस्ताक्षर अवश्य करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय में जमा परीक्षा आवेदन पत्रों को आरक्षण कोटिवार व्यवस्थित कर दिनांक 18.02.2013 तक परिषद् कार्यालय में जमा करेंगे। इस तिथि के बाद परिषद् कार्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iii) परीक्षा आवेदन पत्र के साथ 200/-रूपये का परीक्षा शुल्क राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड"** के नाम से, जो राँची में भुगतेय होगा, जमा करेंगे परन्तु, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये यह राशि 100/- रूपये होगा।

(iv) आवेदन पत्र के साथ झारखण्ड राज्य के मूल/स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उन्हें स्थानीय अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत मूल/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना होगा। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द समझी जायेगी। आरक्षण का लाभ चाहनेवाले छात्र/छात्राओं को झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ मान्य नहीं होगा और उन्हें सामान्य कोटि का अभ्यर्थी माना जायेगा। बाद की तिथियों में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(v) परीक्षा आवेदन पत्र साफ-साफ अक्षरों में भरा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का उपरिलेखन (Over-Writing)/काट-कूट(Cutting)/अपलेखन (Erasing) नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

(vi) उम्र की अर्हत्ता पूरा करने के लिये छात्र को उसके समर्थन में प्रस्वीकृत विद्यालय के प्रवेश पंजी के आधार पर प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु एवं जन्म पंजीयन अधिनियम, 1969 के तहत निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(vii) अन्तर्वीक्षा के लिये सफल उम्मीदवारों को अन्तर्वीक्षा के दिन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय में सभी मूल प्रमाण पत्रों को जमा करना अनिवार्य होगा। बिना मूल प्रमाण पत्र के किसी भी उम्मीदवार को अन्तर्वीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(viii) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र का वितरण दिनांक 21.05.2013 से 27.05.2013 के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से किया जायेगा। परीक्षार्थी उस तिथि को प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेंगे। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ix) उम्र निर्धारण के संबंध में चिकित्सक दल (Medical Board) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशित करने में पूरी सावधानी बरती गई है। कोई भी त्रुटि या अस्पष्टता की स्थिति में इस विज्ञप्ति में संशोधन/संवर्द्धन किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/नेतरहाट+इन्दिरा गाँधी/21203/12/
SECY/06/13, Dt. - 04.01.13
D.O.P. - 05.01.13

size : 16x19